PTO

rediffmail

Mailbox of skkataria64

Subject: Suggestions on Draft Shram Shakti Policy -2025

From: Surendra Kataria<skkataria64@rediffmail.com> on Mon, 06 Apr 2026 16:09:10

To: "minoffice-mole@nic.in"<minoffice-mole@nic.in>,"mos.shobha@gov.in"<mos.shobha@gov.in>,"secy-labour@nic.in"<secy-labour@nic.in>

1 attachment(s) - Labour_policy_draft_suggestion.pdf (852.43KB)

माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री
भारत सरकार , नई दिल्ली।

विषय- श्रम शक्ति नीति - 2025 (ड्राफ्ट) : श्रमिक एवं ठेकेदारों के लिए अनिवार्य पेशेवर प्रशिक्षण हेतु एवं अन्य सुझाव।

महोदय ,

सादर निवेदन है कि देश में असंगठित श्रम क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है और राज्य सरकारें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देती हैं। स्थिति यह है कि घरेलू काम करने वाली बाई को मकान मालिक घर के शौचालय तक काम में नहीं लेने देते हैं और ना ही पर्याप्त वेतन देते हैं. दूसरी ओर ठेकेदारों और श्रमिकों में पेशेवर समझ का अभाव पाया जाता है जिसके कारण निर्माण - कार्यस्थल पर पॉलिथीन , कचरा, पैकिंग सामान , कप, प्लेट , बीड़ी , पाउच , बची हुई रोड़ी, ईंट, टाइल्स , तार इत्यादि पड़े रहते हैं या गड्ढे बिना भरे पड़े रहते हैं। हालात इतने गैर ज़िम्मेदाराना हैं कि कहीं बोरवेल खुला छोड़ दिया जाता है तो कहीं बिजली की लाइन पर कार्य करते मज़दूर को बिना बताये करंट चालू कर दिया जाता है। सन 2047 तक विकसित भारत हेतु राष्ट्रीय श्रम शक्ति नीति में निम्नांकित सुझाव सम्मिलित किये जाएँ-

1 . ठेकेदारों और श्रमिकों को मूलभूत पेशेवर और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें पता हो कि निर्माण स्थल पर खुद की , दूसरों की और समाज की रक्षा कैसे करनी है और गंदगी को प्रतिदिन कैसे निस्तारित करना है।

2 . प्रत्येक निर्माण स्थल पर अनिवार्यत: यह बोर्ड लगे कि क्या काम चल रहा है , कौन विभाग करवा रहा है , ठेकेदार और ज़िम्मेदार अधिकारी कौन है और उनके मोबाइल नंबर तथा पता क्या है ताकि एक आम व्यक्ति अपनी बात तत्काल कह सके।

3 . श्रमिकों हेतु निर्माण स्थल पर चल शौचालय , छाया, पानी और प्राथमिक उपचार सुविधा होनी चाहिये।

4 . घरों में कार्य करने वाली बाई या नौकर हेतु शौचालय सुविधा के नीतिगत नियम बनने चाहिए ताकि वे सड़क, पार्क या खुले स्थान पर मूत्र विसर्जन को विवश ना हों.

5 . प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम हों और बिना सुरक्षा उपकरणों के कोई गहरे सीवर या कुवें में न उतरे और इस हेतु काम लेने वाली एजेंसी या व्यक्ति जवाबदेह हो और दुर्घटना की स्थिति में वह उपचार कराने और मुआवजा देने को बाध्य हो।

6 . प्रत्येक व्यक्ति जो भी किसी भी कार्य हेतु मज़दूर की सेवाएं ले उसे पहले एक पोर्टल पर अपना सम्पूर्ण कार्य-विवरण दर्ज करे और श्रमिक और समाज के प्रति दायित्वों (मसलन बचा मलबा कहाँ डालूंगा / रास्ता बाधित नहीं करूँगा / सुरक्षा मानक अपनाऊंगा इत्यादि) के निर्वहन की गारंटी ले।

7 . किसी कार्य स्थल पर दुर्घटना के समय सहायता करने के बजाय वीडियो बनाने वालों को दण्डित करने के प्रावधान किये जाएँ।

8 . वेतन और पारिश्रमिक की व्यावहारिक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिये। कई जगह तो सरकार ही शोषण करती है। उदाहरण के लिए मोहनलाल सुखाडिया यूनिवर्सिटी , उदयपुर , राजस्थान में SFAB के अधीन दो या तीन दशक से कार्यरत सहायक / मंत्रालयिक कार्मिकों को मात्र 9000 / 12000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और हर दो या तीन माह में सेवा विस्तार हेतु उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। स्वतंत्र भारत में ऐसी मनमानी पर रोक लगनी चाहिए और श्रम शक्ति नीति के दायरे में समस्त गैर सरकारी या अस्थायी कार्मिक भी सम्मिलित हों और इनका वेतन कम से कम एक सरकारी चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के मासिक वेतन से कम कदापि न हो.

9. निर्माण या अन्य कार्यों से जब किसी व्यक्ति या सरकार की किसी संपत्ति को कभी नुकसान पहुंचे (सड़क खुदाई पर कोई पूर्व में डली हुई केवल कट जाना या किसी के घर के पानी की लाइन टूट जाना) तो संबधित उत्तरदायी व्यक्ति या एजेंसी तत्काल ज़िम्मेदारी वहन करे न कि पीड़ित को पुलिस के पास या अदालत जाना पड़े। यदि पीड़ित

Scanned with OKEN Scanner

PTO

व्यक्ति अदालत जाए तो जिम्मेदार पक्ष को गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाए।

10. किसी भी कार्य के पूर्ण होने पर ठेकेदार को अंतिम भुगतान से पूर्व विभाग के उच्च अधिकारी अनिवार्यत: कार्य स्थल को आकर देखें।

आशा है आप उक्त सुझावों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय श्रम शक्ति नीति में स्थान देने का कष्ट कराएंगे।

सादर

सुरेंद्र कटारिया

Scanned with OKEN Scanner